भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 957
जिसका उत्तर सोमवार, 29 जुलाई, 2024 (7 श्रावण, 1946 (शक)) को दिया जाना है

"जीएसटी के तहत फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट"

†957. श्री सी. एम. रमेश:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2023-24 के दौरान जीएसटी के तहत 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों की सूचना मिली है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कया उपरोक्त फर्जी इनपुट टैक्स दावे 2022-23 से कहीं अधिक हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान फर्जी दावों के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उपरोक्त खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी करने वालों का पता लगाने में सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख) जी हां। केंद्रीय कर संरचनाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान दर्ज किये गए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामलों का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	मामलों की संख्या	चोरी की राशि (करोड़ रुपये में)	स्वैच्छिक जमा की गई राशि (करोड़ रुपये में)	गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों की संख्या
2022-23	7231	24140	2484	153
2023-24	9190	36374	3413	182

(ग) जी हां। केंद्रीय कर संरचनाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान दर्ज किये गए मामलों की संख्या इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	मामलों की संख्या
2021-22	5966
2022-23	7231
2023-24	9190

(घ) आईटीसी धोखाधड़ी पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं:

1. सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 8 में उप-नियम (4ए) की प्रविष्टि ताकि डेटा एनालिटिक्स के आधार पर जोखिमयुक्त दिखने वाले पंजीकरण आवेदकों के लिए बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण किया जा सके

2. सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 9 में संशोधन ताकि उच्च-जोखिम मामलों में भौतिक सत्यापन किया जा सके, यहां तक कि जब आधार का प्रमाणीकरण हो चुका हो

3. पंजीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में प्रस्तुत पंजीकृत व्यक्ति के नाम पर तथा पंजीकृत व्यक्ति के पैन पर प्राप्त बैंक खाते की आवश्यकता और स्वामित्व फर्म के मामले में आधार से जुड़ा होना आवश्यक और बैंक खाते का विवरण पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर या जीएसटीआर-1 दाखिल करने से पहले, जो भी पहले हो, प्रस्तुत करना आवश्यक होने का प्रावधान करने हेतु सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 10ए में संशोधन

4. सप्लायर द्वारा उनके बाहरी आपूर्ति विवरण में प्रस्तुत किए गए चालान और डेबिट नोट पर आईटीसी की उपलब्धता को सीमित करना

5. कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी दाखिल करने से पहले फॉर्म जीएसटीआर-1 का दाखिल करना अनिवार्य किया जाना और फॉर्म जीएसटीआर-1 का दाखिल करना अनिवार्य रूप से अनुक्रमिक बनाया जाना

6. ऐसे मामलों में जहां चालान जारी किए बिना आपूर्ति की गई है, या आपूर्ति के बिना चालान जारी किया गया है, या अतिरिक्त आईटीसी का लाभ उठाया/ वितरित किया गया है, तो लाभार्थी स्वामी को वास्तविक आपूर्तिकर्ता/ प्राप्तकर्ता के समान दंडात्मक कार्रवाई और अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाना

7. सीजीएसटी अधिनियम की धारा 83 में संशोधन यह प्रदान करने के लिए कि संपत्ति की अनंतिम कुर्की किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में की जा सकती है जिसने ऐसे लेनदेन का लाभ उठाया है

8. गैर-अनुपालक करदाताओं द्वारा ई-वे बिल बनाने पर प्रतिबंध

9. 01.08.2023 से बी2बी लेन-देन के लिए ई-इनवॉइस जारी करने की सीमा को 10 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये करना

10. कर अपवंचन का पता लगाने के लिए जोखिमयुक्त जीएसटी पंजीकरण को पहचानने या ट्रैक करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का नियमित उपयोग

11. नकली/ बोगस पंजीकरणों को समाप्त करने के लिए पूरे भारत में अभियान

12. लक्षित हस्तक्षेपों के लिए प्रवर्तन एजेंसियों के बीच डेटा साझा करना।

(ङ) चुनैतियां उन मास्टरमाइंडों से संबंधित हैं जो फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के सृजन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों के जटिल जाल के नियंत्रण और प्रबंधन के माध्यम से संचालित करते हैं। ऐसी चुनौतियों का सामना कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित कई हितधारकों के साथ समन्वय के माध्यम से किया जा रहा है।

******